कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, डिवीजन बैन्च, जयपुर मे दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 147/2020 राम सिंह मीणा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रकरण मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2020 द्वारा श्री राम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य की याचिका को माननीय न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अन्तिम रूप से खारिज कर उन पर माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 20000/– को उपांतरित/संशोधित कर रूपये 2000/– करते हुए विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने एवं अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति मे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके सम्बन्ध मे प्रशासनिक आवश्यकतानुसार पदस्थापन आदेश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा श्री राम सिंह मीणा (स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य–राउमावि खेतडली जिला पाली) को स्पष्ट रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने के उपरान्त ही विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु श्री मीणा द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 2000/– माननीय न्यायालय की विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर शाखा, जयपुर में निक्षेपित किये जाने का हवाला देते हुए स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किये बिना ही विभाग के समक्ष सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया गया जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः श्री राम सिंह मीणा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश के दो दिवस के भीतर स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेतडली जिला पाली में प्रधानाचार्य पद पर दो दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना से इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील), 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी.अपील/रामसिंह/147/351/2020 दिनांकः 26.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/पाली संभाग, भरतपुर/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर/पाली।
5. **जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त आदेश के 2 दिवस की अवधि में श्री राम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के प्राथमिक जांच अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री राम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)